सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR - Central Electronics Engineering Research Institute
पिलानी (राजस्थान)/Pilani (Rajasthan) 333031

सं. 35/1/2020 - राभा   दिनांक : 29.07.2025

कार्यालय ज्ञापन / Office Memorandum

विषय : केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र को पत्राचार के लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में।
संदर्भ : 1. सीएसआईआर मुख्यालय का पत्र/परिपत्र सं.-2(2)/2001 - राभा, दिनांक 25.07.2025
2. संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2025-26

यह विदित ही है कि यह संस्थान भारत सरकार द्वारा किए गए भाषिक वर्गीकरण के अनुसार **'क'** क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 (संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड) एवं सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा इस समय में समय-समय पर जारी पत्रों/परिपत्रों के अनुसार **'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ शतप्रतिशत (100%) तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से 70% पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है**। सरकार द्वारा हिंदी पत्राचार के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी यह आवश्यक है।

ध्यातव्य है कि **माननीय संसदीय राजभाषा समिति** हिंदी पत्राचार के संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के प्रति अत्यंत गंभीर है। अत: सभी अधिकारियों/समूह प्रमुखों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे संस्थान से 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ शतप्रतिशत पत्राचार हिंदी में करना सुनिश्चित करें। **ध्यान दें कि अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

मधुरंजन 29/7/2025

(मधुरंजन पाण्डेय /Madhuranjan Pandey)
प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration

प्रति (सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए)
Copy (for information and necessary action)

1. **निदेशक कार्यालय / Director's Office**
2. प्रमुख, पीएमई / Head, PME
3. प्रमुख, टीबीडी / Head TBD
4. सभी समूह प्रमुख, विभागाध्यक्ष, यूनिट प्रमुख, अनुभाग प्रभारी आदि
   All the GLs, HoDs, Unit Heads. Sectional Heads etc.
5. प्रमुख, एआईटीजी/एनएमसी - वेबसाइट पर अपलोड करवाने के लिए।
   Head, AITG/NMC – To upload on the website.
6. सूचना पट्ट / Notice Board(s)
7. संबंधित फाइल / Concerned file

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

सं. 20-2(2)/2001-राभा

Dated 25.07.2025

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/ संस्थानों के निदेशक/प्रमुख एवं मुख्यालय के आतंरिक अनुभाग/प्रभाग

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आयोग का निरीक्षण के उपरान्त "ध्यान देने योग्य बातों" की अनुपालना के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दिनांक 25.06.2025 का पत्रांक 29-10/2023-हिंदी ।

महोदया/महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्यालय को सूचित किया गया है कि सीएसआईआर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अंग्रेजी में पत्र प्राप्त हो रहे हैं जो कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उचित नहीं है ।

"ध्यातव्य है कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ शत प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है ।"

उक्त के सम्बन्ध में, अनुरोध है कि यदि भविष्य में आपके प्रयोगशाला/संस्थान से आयोग को पत्राचार किया जाता है तो वह राजभाषा नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिंदी में ही किया जाए ।

सादर,

भवदीय,

25/7/25

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

2/4

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

फा.सं. ई.11011/03/2018-हिन्दी
भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 09 जुलाई, 2025

सेवा में

उप सचिव
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
अनुसंधान भवन, 02, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा दिनांक 05.03.2025 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निरीक्षण के उपरांत "ध्यान देने योग्य बातों" की अनुपालना के संबंध में।

महोदया,

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दिनांक 25.06.2025 के पत्र सं.29-10/2023-हिंदी (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में दिनांक 02.07.2025 को प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अंग्रेजी में पत्र प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के साथ पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। अत: राजभाषा नियम 1976 का उल्लंघन हो रहा हैं। इस बात को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने काफी गंभीरता से लिया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि राजभाषा नियम 1976 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में आयोग सहित सभी मंत्रालयों और विभागों से पत्राचार करते समय राजभाषा अधिनियम 1963 यथासंशोधित 1967 और राजभाषा नियम 1976 तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (2025-26) में निर्धारित लक्ष्य का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीया

(सरोज गिरि)
उप निदेशक (रा.भा.)

हिन्दी अधि०

कृपया सूचना एवं अनुपालन हेतु सभी कार्यालयों/संस्थानों एवं मुख्यालय के अनुभागों को प्रचारित करें।

11/07/2025

पवन, चर्चा करें।

फाईल नं. 29-10/2023-हिंदी
भारत सरकार
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

ब्लॉक-14, प्रथम तल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली -110003
दिनांक: 25.06.2025

सेवा में,

महानिदेशक,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली - 110001।

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आयोग का निरीक्षण के उपरांत 'ध्यान देने योग्य बातों' की अनुपालना के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा दिनांक 05.03.2025 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के उपरांत **'ध्यान देने योग्य बातें'** संबंधी पत्र (प्रति संलग्न) प्रदान किया गया जिसके बिन्दु 06 में निम्न टिप्पणी की गई है:

"कार्यालय को केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों से अंग्रेजी में में पत्र प्राप्त प्राप्त हो रहे हैं, उन कार्यालयों के सक्षम प्राधिकारी को मंत्रालय के सचिव/सक्षम प्राधिकारी की ओर से राजभाषा नियमों का पालन करने संबंधी अनुदेश जारी किए जाएं। "

2. इस संबंध में, आपको सूचित किया जाता है कि आपके कार्यालय से आयोग को अंग्रेजी में पत्र प्राप्त हो रहे है । अतः अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में आयोग से पत्राचार करते समय उपरोक्त बिन्दु संबंधित राजभाषा नियम की अनुपालना सुनिश्चित किया जाए ।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संलग्नक : उपरोक्त

भवदीय,

(राजीव मोहन)
भारत सरकार के अवर सचिव

डायरी सं. / Diary No. 160
संयुक्त सचिव, डी एस आई आर
Joint Secretary, DSIR
दिनांक / Date 2.7.25

01-07-2025

संयुक्त सचिव (डीएसआईआर)

उप निदेशक (रा.भा.)

स० नि० (रा०भा०)

श्री दिनेश → आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4/4